राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 980/2024

सुरेन्द्र स्वामी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी, राजकीय जिला आयुष चिकित्सालय, गुडा गोडजी, जिला झुंझुंनू।
4. रूकेश कुमारी, आयुर्वेद नर्स/कम्पाउन्डर, राजकीय जिला आयुष चिकित्सालय, गुडा गोडजी, जिला झुंझुंनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय महला, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आयुर्वेद नर्स/कम्पाउन्डर के पद पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर में दिनांक 25.08.2015 को हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद नर्स/कम्पाउन्डर, राजकीय जिला आयुष औषधालय, गुडा गोडजी, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय जिला आयुष औषधालय, जिला झुंझुंनू में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1139/2021 राम करण यादव बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2021 का उद्वरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया है। अपीलार्थी के माता—पिता की मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थी का एक पुत्र है, जो कक्षा 5 में गुड़ा गौडजी, जिला झुंझुंनू में अध्ययनरत है। अपीलार्थी के बच्चे की देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित

करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यरत रहने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद नर्स/कम्पाउन्डर, राजकीय जिला आयुष औषधालय, गुडा गोडजी, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय जिला आयुष औषधालय, जिला झुंझुंनू में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर प्रशासनिक कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इससे अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है।

5. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस. एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ***"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be***

open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य